फाइल नं0-71-3099/58/2021-03

166/2022/I/250650/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज-2 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पंचम किश्त की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0सि0/बजट/2022-23/5719-22, दिनांक 29.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर हेतु गैर वेतन मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सिद्धार्थनगर हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में निम्न विवरणानुसार कुल रू0 400.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

(रू0 लाख में)

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनॉक	अवमुक्त धनराशि
1	शासनादेश संख्या-81/2022/ई-2097854/71-3002-002-1-2022, दिनांक 29.04.2022	166.66
2	शासनादेश संख्या-103/2022/I/193111/2022-71-3099/58/2021, दिनांक 22.07.2022	33.34
3	शासनादेश संख्या-130/2022/I/216601/2022-71-3002/15/2022, दिनांक 21.09.2022	100.00
4	शासनादेश संख्या-153/2022/I/233762/2022-71-3099/58/2021, दिनांक 10.11.2022	100.00
	कुल योग-	**400.00**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक "2210-05-105-03-52" में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पंचम किश्त के रूप में **रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
6. यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चारत ही चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050352 मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर **मानक मद 20 सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-431/दस-2022-23, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।